

तारीख हुकम	प्रार्थना पत्र प्र. सं. 56/2014 (2014/00141) हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सज्जन कवर 1/5 नारायण सिंह राजपूत वि. खेमाबा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	--	---

4/2
2020

पत्रावली पेश हुई. उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित प्रकरण में विपक्षीयता कृतांक 1 व 2 उपस्थित हुए किन्तु कोई जवाब पेश नहीं किया, विपक्षी कृतांक 3 की ओर से जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश किया जो शामिल पत्रावली है. विपक्षी 3 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का कोई जवाब पेश नहीं किया. प्रकरण में दिनांक 4.4.2014 को एक पक्षीय अस्थायी निवेदात्मक जारी की गयी है। प्रकरण न्यायी पुराण है इतनी लम्बी अवधि तक प्रार्थना पत्र पेंडिंग रखना न्याय हित में नहीं है।

प्रकरण में कदम सुनी गयी प्रार्थी अधिवक्ता इस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करते भी इन्हें दुबारा नहीं गयी।

विपक्षी अधिवक्ता का मुख्य कथन यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त आरोपों पैनिक नहीं कुछ आरोपों पर स्व. जोरावर सिंह जी की स्व. धार्जित शक्ति भी जिसके साविक नम्बर 359/2 व 290/2 के साविक आ. नं. 359/2, 361, 361 से गवीर आरोप 726/259 है व 726 शक्ति दर्ज हुई इसी तरह स्व. पुराण नं. 290/2 के 0.47 है रकम 3 वर्षों के गवीर आ. नं. 736 737 है कि रकम 0.65 है शक्ति दर्ज हुई जो वादी गठ भी पैनिक नहीं है कि 2 भी वाद व प्रार्थना पत्र में दर्ज नहीं गयी है जो गलत है प्रार्थना पत्र निरस्त म. (नॉव)

मेने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड व कदम पर गलत किया तो पाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित शक्ति प्रार्थी गठ भी पैनिक



तारीख
हुकम

प्रार्थना पत्र प्र. सं. 56/2014 (2014/00141)

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

सज्जन कवर v/s नारायण. सिंह राजपूत वि. खेमाबा

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

4 2
2020

पत्रावली पेश हुई. उभय पक्ष आविष्यता उपरिचेत प्रकरण
में विपक्षीयता कृतांक / 1 व 2 उपरिचेत हुए किन्तु कोई
जवाब पेश नहीं किया, विपक्षी कृतांक 3 की ओर से जवाब
मम काउन्टर क्लेम पेश किया जो शामिल पत्रावली है.
विपक्षी 3 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का कोई
जवाब पेश नहीं किया. प्रकरण में दिनांक 4. 4- 2014
को एक पक्षीय अस्थायी निवेदाज्ञा जारी की गयी है।
प्रकरण न्यायी पुराना है इतनी लम्बी अवधि तक प्रार्थना
पत्र पेटिशन रखना न्याय हित में नहीं है।

प्रकरण में कदम चुनी गयी प्रार्थी आविष्यता इस
प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना
पत्र स्वीकार करते भी इस दुआ की गयी।

विपक्षी आविष्यता का मुख्य मुद्दा यह कि
प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त आरोजी पंजीक नहीं
कुछ आरोजीगत स्व. जोरावर सिंह जी की स्व. धार्जिन
भ्रात्रि भी जिसके साखिक नम्बर 359/2 व 290/2 के
साखिक आ. नं. 359/2, 361, 361 से गवीर आरोजी $\frac{726}{259}$
व $\frac{726}{0.47}$ भ्रात्रि दर्ज हुई इसी तरह स्व. सदा न 290/2

रकमा 3 बीघा के गवीर आ. नं. $\frac{736}{0.01}$ $\frac{737}{0.65}$ है किन्तु
रकमा 0.65 है भ्रात्रि दर्ज हुई जो वादी गवा भी पंजीक
नहीं है किन्तु भी वाद व प्रार्थना पत्र में दर्ज की गयी है
जो गलत है प्रार्थना पत्र निरस्त w/ (गोव)

मेने पत्रावली का आवलोकन कर पत्रावली में
असम्बन्ध रेकार्ड व कदम पर गत किन्तु मे पाया कि
प्रार्थना पत्र में वर्णित भ्रात्रि प्रार्थी गवा भी पंजीक

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
प्रकरण संख्या 56/2014 (2014/00141)

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

नहीं करें प्राचीनभारत के कठोर मायू से मोर्छ
बाधा उत्पन्न न हो स्वयं करें न कठोर से
काराके रेकार्ड एवं मोर्छ भी मया स्थिति
व्यक्त रहे ।

पत्रावली केसल शुभा देकर वाड वायल
राजिस्टर के नम्बर से कर हो ।

निर्णय आज दिनांक 4.2.2020 को शुभा ।



(Signature)

(सुन्दरलाल वाकोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (मीलवाडा)

